

प ५
२५

प

पत्रावली पेश। वकीलवादी लाजिव।
प्रकरण में बाब-२ आडिवा के बावजूद
भी नौरिल। सामन पेश नहीं। वकीलवादी
के प्रतिवादीगणों की तामिले पेश
करने हेतु पूर्व में भी विदायत ही

ख हुकम

हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल जज

नम्बर
अह
हुक
जा

जा चुकी है। अतः बीडी का वाडा
आदेश 9 नियम 5 के तहत खार्जि
किदा जाता है। पत्रावली फंसल
सुमार लोक नम्बर से कम लोक
हाखिल दफतर है।

